प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, **वर्ष 2022**
प्र.ई.रि.सं. 493/22 दिनांक 28/12/2022

2.–**(1) अधिनियमः– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** धारा **7ए**
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–**(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या** 553 समय 2:10 Pm
(ब) अपराध के घटने का दिन **गुरूवार, दिनांक 29.09.2022, समय 12.19 पी.एम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 28.09.2022 समय 04.15 पी.एम

4.–**सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित**

5–**घटनास्थलः– रेबारियों की ढाणी, ग्राम करोली**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– **दिशा–दक्षिण बफासला 35 किलोमीटर**
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ).–नाम :– **श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू**
(ब).–पिता का नाम :– **श्री डालचन्द माली**
(स).–जन्म तिथि :– **उम्र 41 वर्ष,**
(द).–राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः–प्राईवेट नोकरी
(ल).–पता :– निवासी–वार्ड नम्बर 31, उबा गणेश जी, लाल बाग रोड नाथद्वारा, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

7.– **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित** :–.....
श्री रामजी रेबारी, सरपंच पति ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति)

8.– **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही**

9.– **चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)**
आरोपी श्री रामजी रेबारी, सरपंच पति ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली की फर्म (श्री भैरूनाथ बिल्डीग मटेरियल) द्वारा ग्राम पंचायत करोली क्षैत्राधिकार में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु करवाये गये कार्यों के पूर्व में भुगतान किये गये बिल व बकाया बिलों के भुगतान सहित कुल वर्क ऑर्डर राशि 10,00,000 रूपये के 10 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रूपये की कहकर 25,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा पूर्व में प्राप्त किये गये 2,000 रूपये माईनस करने के उपरान्त कुल 23,000 हजार रिश्वत राशि की मांग करना।

10.–**चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य** (आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 25,000 रूपये की मांग कर पूर्व में प्राप्त किये 2,000 रूपये माईनस करने के उपरान्त शेष 23,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना)

11.–**पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)**.....–.....

12.–**विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)**

महोदय जी,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.09.2022 को परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ श्री राजू माली पुत्र श्री डालचन्द माली जाति माली, उम्र 41 साल, निवासी वार्ड नम्बर 31, उबा गणेश जी, लाल बाग रोड नाथद्वारा, पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द ने उपस्थित चौकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मैं प्रार्थी राधाकृष्ण उर्फ राजू माली S/O डालचन्द माली आयु 41 वर्ष निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। ग्राम प. करोली पंचायत सिमिति खमनोर द्वारा वर्ष 2019 में सांसद मद से डांगियो का पाडा (मोहल्ला) करोली में सामुदायिक भवन का निमार्ण करने हेतु मेरी फर्म (श्री भैरूनाथ बिल्डीग मटेरियल) के नाम पर टेण्डर हुआ। जिसके कम में मेरी फर्म द्वारा उक्त कार्य जनवरी 2022 में पूर्ण किया गया। तथा वर्क आर्डर के अनुरूप मेरी फर्म को रूपये लगभग 9,20,000/– रूपये का भुगतान किया जाना था जिसके लिये मैं बार–बार ग्राम सचिव करौली श्रीमति मन्जू यादव के पास जाकर उक्त राशि का भुगतान मेरी फर्म को करने हेतु बार–बार निवेदन किया। मेरी फर्म को उक्त कार्य के बदले में 6,80,000/– रूपये का भुगतान हो चुका है शेष राशि 2,46,622/– रूपये के भुगतान हेतु मै ग्राम सचिव करौली के पास बार–बार गया तो उन्होने संरपच पति (श्री राम जी रेबारी) से मिलने के लिए कहा जिस पर मै सरपंच पति (राम जी रेबारी) से मिला तो उन्होने 10,00,000/– रूपये के कार्य हेतु 10% के हिसाब से 1 लाख रूपये कि मांग कि। ग्राम पचांयत करोली की सरपंच श्रीमति सुशीला है लेकिन सरपंच पद के समस्त कार्य उसके पति श्री रामजी रेबारी द्वारा किये जाते है मै सरपंच पति को रिश्वत राशि 1 लाख रूपये नहीं देना चाहता हूं मेरे व सरपंच पति (राम जी रेबारी) के बीच में आपसी लेन देन बकाया नही है। और न ही हमारे बीच मे कोई आपसी रजिंश है। मै सरपंच पति (राम जी रेबारी) को रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे।" जिस पर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत करोली के सरपंच का नाम सुशीला हैं लेकिन सरपंच पद के सारे कार्य उसके पति श्री रामजी रेबारी द्वारा किये जाते हैं और सरपंच की मोहर श्री रामजी रेबारी अपने पास ही रखते हैं और मोहर पर हस्ताक्षर उसके द्वारा ही किये जाते हैं। सरपंच पति श्री रामजी रेबारी द्वारा OTP देने के पश्चात ही उसका शैष बकाया राशि का भुगतान उसके खाते में होगा। परिवादी ने बताया कि उसकी फर्म द्वारा जनवरी 2022 में ही निर्धारित कार्य पूर्ण कर दिया लेकिन सरपंच पति श्री रामजी रेबारी व सचिव श्रीमती मन्जू यादव उसकी बकाया राशि 2,46,622/– रूपये का भुगतान नहीं करवाकर रिश्वत राशि प्राप्त करने की नियत से उसके काम को अनावश्यक अटका रखा हैं और शैष राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दरियाफ्त परिवादी से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से दिनांक 29.09.2022 को परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली के साथ कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के भेजकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व मांग सम्बन्धी वार्ता करवाई गई। कानि0 जितेन्द्र कुमार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को अपने मोबाईल से फोन कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर समय 10.00 ए0एम पर सरकारी मोटरसाईकिल नम्बर आर0जे 14 एल0बी 4228 से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो घोडाघाटी हाईवे के किनारे पहुंच परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू से मोबाईल पर सम्पर्क कर परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईस कर आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर समय 12.19 पी0एम पर परिवादी को सुपुर्द कर ग्राम पंचायत करोली में संदिग्ध सचिव व सरपंच पति से वार्ता करने हेतु ग्राम पंचायत करोली की तरफ रवाना किया। करीब दो–ढाई घण्टे बाद परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जो चालु था जिसे बंद कर अपने पास सुरखित रखा। इसके पश्चात परिवादी को पुनः सचिव मेडम श्रीमती मंजु यादव से वार्ता करने हेतु समय करीब 03.20 पी0एम डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को पुनः चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर ग्राम पंचायत करोली की तरफ रवाना किया। करीब 20–25 मिनट बाद परिवादी श्री राधाकृष्ण आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जो चालु था जिसे बंद कर अपने पास सुरखित रखा। इसके पश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक की परिवादी से वार्ता करवाई तो परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि "वह डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के साथ ग्राम पंचायत करोली के अन्दर गया और सचिव मेडम श्रीमती मंजु यादव से उनके कक्ष में जाकर मिला और उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के पेण्डिग बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में वार्ता की तथा पेण्डिग बिलों का भुगतान करवाने के लिए क्या करना होगा व कितनी क्या व्यवस्था करनी हैं ? के सम्बन्ध में सचिव मेडम से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही होगा कि किस तरह क्या करना हैं, पहली बार तो काम नहीं किया, आपसे जो हो वो कर देना कोई दिक्कत नहीं हैं, आपके हिसाब से देख लेना। इसके पश्चात परिवादी ने बताया कि उसने

सचिव मेडम से कहा कि अब आपको क्या करना हैं, उनको सबको उन्हीं को देना हैं या आपको देना हैं कैसे क्या हैं ? इस पर सचिव मेडम ने सरपंच पति श्री रामजी रेबारी से मिलकर बात करने का कहा। इसके पश्चात परिवादी ने बताया कि वह सरपंच पति श्री रामजी रेबारी से मिला और उनसे पेण्डिग बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में वार्ता की तो सरपंच पति श्री रामजी रेबारी ने उसकी फर्म (श्री भैरूनाथ बिल्डीग मटेरियल) द्वारा करवाये गये कार्यों के पूर्व में भुगतान किये गये बिल व बकाया बिलों के भुगतान सहित कुल वर्क ऑर्डर राशि 10,00,000 रूपये के 10 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रूपये की कहकर 25,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा पूर्व में प्राप्त किये गये 2,000 रूपये माईनस करने के उपरान्त कुल 23,000 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिसमें सरपंच पति व सचिव मेडम दोनों का संयुक्त रूप से हिस्सा होना बताया। परिवादी ने बताया कि उसके द्वारा बार–बार रिश्वत राशि कुछ कम करने की कहने के उपरान्त भी सरपंच पति श्री रामजी रेबारी ने रिश्वत राशि कम नहीं की और 23,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग पर अडिग रहा। सरपंच पति श्री रामजी रेबारी ने उसे रिश्वत राशि 23,000 रूपये नाथद्वारा में मुकेश जी को देने के लिए कहा हैं। इसके पश्चात परिवादी ने बताया कि वह पुनः डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के साथ सचिव मेडम से मिला तो सचिव मेडम ने उसके खाते को जन आधार से जोडने के लिए कहा हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 23,000 रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत दी। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जितेन्द्र कुमार को परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली को वहीं से रूखसत कर कानि0 जितेन्द्र को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 05.45 पीएम पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ब्यूरो कार्यालय पर आया और मन् पुलिस उप अधीक्षक के कक्ष में उपस्थित होकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.11.2022 को परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि सचिव मेडम के बताये अनुसार उसने उसका खाता जन आधार से अटेच करवा दिया हैं लेकिन उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के पेण्डिग बिलों की राशि 2,46,622 रूपये का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया हैं। सरपंच पति श्री रामजी रेबारी ओटीपी नहीं दे रहे हैं इसलिए उसके पेण्डिग बिलों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया हैं। मांग अनुसार उससे रिश्वत राशि 23,000 रूपये की व्यवस्था नहीं हो पाई हैं। परिवादी ने बताया कि उससे रिश्वत राशि 15,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई हैं जो वह साथ लेकर आया हैं। वह रिश्वत राशि नाथद्वारा में मुकेश जी को नहीं देकर सरपंच पति श्री रामजी रेबारी को ही देगा। परिवादी ने बताया कि वह रिश्वत राशि सरपंच पति श्री रामजी रेबारी को देगा तो वो मना नहीं करेंगे। इसके पश्चात तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोतीलाल हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कोष कार्यालय राजसमन्द एवं श्री रणजीतसिंह हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय जिला कोष कार्यालय राजसमन्द एवं भूमि विकास बैंक राजसमन्द का अनुबंधित वाहन नं. आर0जे0–27–टी0ए0–6511 मय चालक श्री मदनलाल के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 11.00 एएम पर कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू एवं संदिग्ध श्री रामजी रेबारी सरपंच पति ग्राम पंचायत करोली व श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 29.09.2022 को हुई वार्तालाप, जो कि परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को एसीबी कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री किशनाराम कानि. नम्बर 404 से अलग से मूर्तिब करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 से ही ब्यूरो के कम्प्युटर से उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार कराई गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा एक आवाज संदिग्ध श्री रामजी रेबारी सरपंच पति व दूसरी आवाज श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमन्द की होने की पुष्टि की तथा मूल सीडी पर परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान, कानि0 किशनाराम एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर कर नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई तथा मूल सीडी एवं डब

सीडी को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई। इसके पश्चात ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी वार्ता परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू एवं श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 29.09.2022 को हुई वार्तालाप, जो कि परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को एसीबी कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष उपरोक्त वार्तालाप की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री जितेन्द्र कुमार कानि नम्बर 262 से अलग से मूर्तिब करवाई जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री जितेन्द्र कुमार कानि नम्बर 262 से ही ब्यूरो के कम्प्युटर से उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार कराई गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द की होने की पुष्टि की तथा मूल सीडी पर परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर कर नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई तथा मूल सीडी एवं डब सीडी को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई। इसके पश्चात समय 02.30 पीएम पर दोनों गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ श्री राजू माली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी राजू माली ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000/– रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। परवादी द्वारा प्रस्तुत समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्रीमती तारा महिला कानि नम्बर 259 से लगवाया जाकर परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रणजीतसिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय से लिवाई जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर बताई गई। इसके पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नहीं होने से परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व भूमि विकास बैंक का अनुबंधीत वाहन मय चालक के आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 30.11.2022 व 01.12.2022 को स्वतंत्र गवाहान व भूमि विकास बैंक राजसमन्द से अनुबंधीत वाहन मय चालक के तलब किये जाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रयास किये गये लेकिन अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजन नहीं हो पाया।

इसके पश्चात दिनांक 16.12.22 को परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आया। परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि उसने सरपंच पति श्री रामजी रेबारी से जरिए दूरभाष सम्पर्क करने व मिलने की पूरी कोशिश की लेकिन सरपंच पति ना तो फोन लग रहा हैं और ना ही वो ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। परिवादी के बताये अनुसार सरपंच पति को उसके द्वारा की जा रही कार्यवाही की भनक लग गई हैं। सरपंच पति को उसके उपर शंका होने की वजह से वह अब उससे नहीं मिलेंगे और ना ही उससे रिश्वत राशि प्राप्त करेंगे। परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली ने मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर, दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 29.11.2022 को पेश की गई रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये पुनः लौटाने हेतु निवेदन किया हैं। इस समय अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से दिगर कार्यवाही हेतु पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व रिश्वत राशि 15,000 रूपये निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली एवं आरोपी श्री रामजी रेबारी (सरपंच पति) ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द व श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करोली के मध्य दिनांक 29.09.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं मांग सम्बन्धी वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त मेमोरी कार्ड बरंग लाल/ग्रे 32 जीबी का जिस पर SanDisk Ultra 32 GB लिखा हुआ की कार्यवाही में आवश्यकता होने से वजह सबूत जप्त किया गया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रयुक्त सील को पत्थर से तोडकर कूटकर नष्ट किया जाकर कार्यालय के बाहर नाले में फिकवाई गई। फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली को रिश्वत राशि लौटाई गई जिसकी फर्द सिपूर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की गई। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।

परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली के पेण्डिग बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में परिवादी व श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करोली के मध्य हुई मांग सम्बन्धी वार्ता में परिवादी द्वारा श्रीमती मंजु यादव से उसके पेण्डिग बिलों का भुगतान करवाने के लिए क्या करना होगा व कितनी क्या व्यवस्था करनी हैं, आदि के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्रीमती मंजु यादव ने परिवादी को कहा कि आपको पता ही होगा कि किस तरह क्या करना हैं, पहली बार तो काम नहीं किया, आपसे जो हो वो कर देना कोई दिक्कत नहीं हैं, आपके हिसाब से देख लेना। इसके पश्चात परिवादी द्वारा श्रीमती मंजु यादव से कहा कि अब आपको क्या करना हैं, उनको सबको उन्हीं को देना हैं या आपको देना हैं कैसे क्या हैं ? इस पर श्रीमती मंजु यादव द्वारा सरपंच पति श्री रामजी रेबारी से मिलकर बात करने का कहा। इस प्रकार उक्त वार्ता से श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करोली व सरपंच पति श्री रामजी रेबारी की आपसी मिलीभगत सामने आई हैं तथा श्रीमती मंजु यादव की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती हैं। उक्त मामले में श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पचांयत करोली व अन्य की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान करने की आवश्यकता हैं।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी की फर्म (श्री भैरूनाथ बिल्डीग मटेरियल) द्वारा ग्राम पंचायत करोली क्षैत्राधिकार में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु करवाये गये कार्यों के पूर्व में भुगतान किये गये बिल व बकाया बिलों के भुगतान सहित कुल वर्क ऑर्डर राशि 10,00,000 रूपये के 10 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रूपये की कहकर 25,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा पूर्व में प्राप्त किये गये 2,000 रूपये माईनस करने के उपरान्त कुल 23,000 हजार रिश्वत राशि की मांग करना जिसमें सरपंच पति श्री रामजी रेबारी व श्रीमती मंजु यादव ग्राम विकास अधिकारी दोनों का संयुक्त रूप से हिस्सा होना तथा परिवादी द्वारा बार–बार रिश्वत राशि कुछ कम करने की कहने के उपरान्त भी सरपंच पति श्री रामजी रेबारी द्वारा रिश्वत राशि कम नहीं कर 23,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग पर अडिग रहना तथा परिवादी द्वारा सरपंच पति श्री रामजी रेबारी से जरिए दूरभाष सम्पर्क करने व मिलने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सरपंच पति श्री रामजी रेबारी से सम्पर्क नहीं हो पाना, परिवादी के बताये अनुसार सरपंच पति को उसके द्वारा की जा रही कार्यवाही की भनक लग जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार आरोपी श्री रामजी रेबारी, सरपंच पति ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री राधाकृष्ण उर्फ राजू माली की फर्म (श्री भैरूनाथ बिल्डीग मटेरियल) द्वारा ग्राम पंचायत करोली क्षैत्राधिकार में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु करवाये गये कार्यों के पूर्व में भुगतान किये गये बिल व बकाया बिलों के भुगतान सहित कुल वर्क ऑर्डर राशि 10,00,000 रूपये के 10 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रूपये की कहकर 25,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा पूर्व में प्राप्त किये गये 2,000 रूपये माईनस करने के उपरान्त कुल 23,000 हजार रिश्वत राशि की मांग करना, आरोपी का उक्त कृतय प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत प्रमाणित हैं।

अतः आरोपी श्री रामजी रेबारी, सरपंच पति ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामजी रेबारी, सरपंच पति ग्राम पंचायत करोली, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमंद (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 493/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4184-86 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।